समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 233

दिनॉक: - 09.08.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री संदीप कुमार

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से वृद्वावस्था/विधवा/विकलागंता पेंशन प्राप्त करने के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया ;	सुल्तानपुर माजरा विधान सभा में पेंशन हेतु निम्न व्यक्तियों ने आवेदन किया– 1) वृद्धावस्था पेंशन– 1300 2) विकलांग पेंशन– 240 3) विधवा पेंशन– 179
(ख)	वृद्वावस्था/विधवा/विकलांगता पेंशन के कितने मामले अभी तक लंबित हैं;	वृद्वावस्था/विधवा/ विकलांगता पेंशन के कुल लंबित मामले– 1) वृद्धावस्था पेंशन– 266 2) विकलांग पेंशन– 165 3) विधवा पेंशन– 03
(ग)	मामलों के लंबित रहने के क्या क्या कारण हैं ;	आवेदन लंबित होने के निम्न कारण हैं– 1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर। 2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण। 3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए। 4. योजना हेतु निर्धारित पात्रता के योग्य न पाए जाने के कारण। 5. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।
(घ)	लंबित मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;	विभाग द्वारा सभी योग्य पाए गए स्वीकृत ऑन लाइन आवदेकों की पेंशन तत्परता से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों ने आंगनबाड़ी कार्यकताओं को घर घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

(ड़)	आवेदन के उपरांत प्राप्त आवेदनों को निपटने की समयावधि क्या है ;	45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।
(च)	क्या यह सत्य है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन के बावजूद वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन ऑफिस के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं,	जी नहीं। अन्य कोई विकल्प न होने की स्थिति में ही केवल ऐसे वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन ऑफिस में बुलाया जाता है जिनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को परेशानियों से बचाने के लिए जिला कार्यालयों द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कि SMS के माध्यम से सूचित करना, यदि आवश्यकता होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं/अथवा कर्मचारी द्वारा भी उनके घर पर संबंधित दस्तावेज एकत्रित करने हेतु दौरा किया जाता है।
(छ)	यदि हॉ, तो सरकार वृद्ध व्यक्तियों को परेशानियों से बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है;	
(ज)	लंबित मामलों की सूची संबंधित विधायक को प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;	विभाग द्वारा सभी विधायकों को समय–समय पर ई–मेल के द्वारा एवं उनके कार्यालय पर कर्मचारियों द्वारा जानकारियां प्रेषित की जाती हैं। विभाग द्वारा भविष्य में बेहतर तालमेल एवं जनसंपर्क हेतु प्रयास किए जाएंगे। अभी हॉल ही में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक जिला कार्यालयों का दौरा किया गया है तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।
(झ)	यदि नही, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना लाने पर विचार कर रही है ; और	
(ञ)	क्या योजना के अमल में आने तक सरकार पेंशन कार्यालय के कर्मचारियों को महीने में एक दिन विधायक कार्यालय आने के आदेश जारी करने पर विचार करेगी ?	पहले से ही विभाग द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों को महिने में एक दिन विधायक के कार्यालय जाने का आदेश दिया जा चुका है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002